

मेसर्स मलनाड अरेका प्रक्रिया और मार्केटिंग लिमिटेड

बनाम

उप. वाणिज्य आयुक्त कर (आकलन) और अन्य।

(2008 की सिविल अपील संख्या 2225)

मार्च 28, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी.के. जैन, जेजे.]

बिक्री कर:

कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957- धारा 5 और 6- नई औद्योगिक नीति, 1996- खंड 5- नई औद्योगिक इकाईयों के लिए बिक्री कर रियायत- निर्धारित सदस्यों- उत्पादकों से सुपारी क्रय करता है और इसे राज्य के बाहर विक्रय है- क्रय कर उद्ग्रहणीय अंतर्गत धारा 6- छूट का- अधिकार: नहीं। अधिसूचना के तहत, धारा 5 के अनुसार औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्मित और विक्रय किए जाने वाले उत्पादों पर ही कर से छूट दी गई है। सरकारी आदेश सं. सी. एल. 30 एसपीसी. 96 (1) दिनांकित 14.5.1996- अधिसूचना दिनांक 15.11.1996.

शब्द और वाक्यांश:

'बिक्री कर और बिक्री कर स्थगन '- का अर्थ।

इस अपील में जो प्रश्न विचारणीय है वह यह है की क्या निर्धारित, कर्नाटक बिक्री अधिनियम, 1957 की धारा 6 के तहत उस क्रय कर से छूट पाने का पात्र है जो सदस्यों उत्पादकों से क्रय की हुई सुपारी की कीमत और राज्य सरकार की अधिसूचना

के आधार पर राज्य के बाहर बिक्री के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश नं. सी. एल. 30 एसपीसी. 96(1) दिनांक 15.3.1996 जैसा कि सरकारी आदेश सं. सी. एल. 30 एसपीसी 96 (1) दिनांकित 14.5.1996. से संशोधित किया गया।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, अभिनिर्धारित किया गया:

1.1 बिक्री और खरीदी एक ही लेन-देन के दो अलग- अलग पहलू हैं। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2008] 5 एस सी आर। चाहे बिक्री हो या खरीदी, दोनों की सामान्य विधि और माल विक्रय अधिनियम में एक ही सामग्री है। कराधान के क्षेत्र में यह माना जाता है कि वस्तुओं और व्यक्तियों पर कर लगाने या छूट देने का वर्गीकरण करने की शक्ति विधायिका के पास है। इसे व्यक्तियों और लेन-देन चुनने की शक्ति भी प्राप्त है। इसलिए, राज्य का एक कानून बिक्री स्थल और खरीद दोनों पर कर लगा सकते हैं। बिन्दु। [पैरा '17] [577- एफ, जी; 578-ए]

1.2 सरकारी आदेश के तहत, जैसा की सरकार की नीति में कहा गया है, कि लघु और अति लघु उद्योग और मध्यम और बड़े उद्योग बिक्री कर छूट के लिए या बिक्री कर स्थगन के अपने विकल्प का प्रयोग कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम दोनों में सरकारी आदेश में निर्धारित वर्षों की संख्या के लिए कर सकते हैं। जिस संदर्भ में इन अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है, उनका केवल अर्थ है ' बिक्री कर अवकाश' या निर्धारित वर्षों के लिए बिक्री के भुगतान से छूट, जो निर्भर करता है की लघु या अति लघु उद्योग कहा स्थित है। 'बिक्री कर' हर उस कर को निर्दिष्ट करता है, जिसकी सीमा के अंतर्गत अनुसूची में निर्दिष्ट सभी 'वस्तुओं की बिक्री का व्यवसाय' शामिल है। इसी तरह, 'बिक्री कर स्थगन' का अर्थ है कि उपरोक्त उद्योग कर एकत्रित करने के हकदार हैं लेकिन उन्हें एकत्रित किया हुआ बिक्री कर का भुगतान राज्य को तुरंत अदा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस संदर्भ में देखा

जाए और उसके बाद राज्य सरकार की 1993- 1998 की नई औद्योगिक नीति और छूट अधिसूचना देखा जाए, तो यह निष्कर्ष निकलता है की, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में जो छूट दी गई है वह अधिनियम की धारा 5 में औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित और बिक्री के माल पर लागू कर है। इसलिए यह अधिसूचना किसी भी तरह से वर्ष 1993- 1998 के लिए औद्योगिक नीति से भिन्न या विपरीत नहीं है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति पर सही ढंग से प्रकाश डाला है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। [पैरा 17 और 18] [578- ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी]

देवी दास गोपाल कृष्णन बनाम। पंजाब राज्य एआईआर 1967 एससी 1895-संदर्भित।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2008 का 2225।

बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. संख्या 2008 के 18392 में (टी- केएसटी) सी/डब्ल्यू बिक्री कर संशोधन याचिका 91/04 (2004 का एसटीआरपी सं. 91- 92) के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 02.01.2006 से।

अपीलार्थी के लिए जी. सारंगन, संजय कुनूर और एन. एन. केशवानी।

उत्तरदाताओं के लिए संजय आर. हेगड़े।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. के द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा, अपीलार्थी ने जो रिट याचिका और बिक्री कर निगरानी याचिका प्रस्तुत की थी, उसे खारिज करने के

आदेश को चुनौती दी गई है।

3. रिट याचिका सं. 18392/2005 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 में मूल्यांकन आदेशों को इस आधार पर की वे कर्नाटक सरकार द्वारा जारी की गई नीति अधिसूचना के विपरीत, उन्हें रद्द करने की प्रार्थना के साथ पेश की गई। बिक्री कर निगरानी याचिका कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957 की धारा 23 (1) के तहत, कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 29-06- 2004 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष इन याचिकाओं में जो विचारणीय प्रश्न उठा है वह केवल यह है की क्या निर्धारित उद्योग खरीद कर के संदर्भ में छूट पाने का पात्र है जो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सदस्यों और उत्पादकों से खरीदी हुई सुपारी और राज्य के बाहर बिक्री के लिए सुपारी के खेप की कीमत पर लागू है, अधिनियम की धारा 6-B में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर और सरकारी आदेश संख्या CI.30 SPC. 96(I) दिनांकित 15- 03- 1996 के अनुसरण में जैसा की सरकारी आदेश संख्या की. 30.SPC.96(I) दिनांकित 14- 05- 1999 द्वारा संशोधित किया गया।

5. निर्धारिती सदस्यों उत्पादकों से खरीदी हुई सुपारी के प्रसंस्करण में और उनकी बिक्री अनिवासी कमीशन एजेंटों को करने में लगा हुआ था। निर्धारिती को वाणिज्य और उद्योग के निदेशालय के साथ एक नई औद्योगिक इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया था और नई औद्योगिक नीति, 1996 और 1996-2001 की प्रोत्साहन और रियायतों के पैकेज द्वारा शासित होने का दावा किया गया और इस संदर्भ में पात्रता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। हालांकि शुरू में दावा स्वीकार कर लिया गया था, बाद में, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत कार्यवाही शुरू की और मूल्यांकन आदेशों को संशोधित किया और धारा 6 के अंतर्गत

खरीद कर लगाया और धारा 6- बी के तहत कारोबार कर के साथ अधिनियम की धारा 6- डी के तहत उपकर इस आधार पर लगाया कि अपीलार्थी बिक्री कर छूट के लिए पात्र केवल विनिर्मित वस्तुओं के बिक्री कारोबार में जो की सरकारी आदेश दिनांकित 15-03-1996 के अनुसार है जिसे सरकारी आदेश 14.05.1999 द्वारा संशोधित किया गया और इस प्रकार अधिसूचनाएँ अधिनियम की धारा 6 के तहत पंजीकृत और अपंजीकृत डीलर से प्रभावित सुपारी के मूल्य पर लगे जाने वाले कर को सम्मिलित नहीं करती है। यह ध्यान देने योग्य है की रिट याचिका मूल्यांकन वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 और निगरानी याचिका मूल्यांकन वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 से संबंधित है।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारिती का रुख यह था कि अभिव्यक्ति "वाणिज्यिक कर, प्रोत्साहन और रियायतें" इन्हे सरकारी आदेश दिनांक 14.5.1999 में बताया गया है। यह निर्धारिती का मत था कि "कर" अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय कर को शामिल करता है और ऐसा कोई उचित कारण नहीं है जिसके तहत धारा 6 में अंतर्गत लगाए गए या लगाए जाने वाले खरीद कर को छोड़ा जाए क्युकी वही कर अधिनियम के प्रावधानों में था। इसके विपरीत राजस्व का रुख यह था कि सरकारी आदेशों के अंतर्गत और कार्यान्वयन अधिनियम में जो छोड़ा गया है वह केवल अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत "बिक्री कर" है और न की "खरीद कर"। यह दर्शाया गया की सरकारी आदेश दिनांकित 15.3.1996 और 14.5.1999 और अधिनियम की धारा 19 (सी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना में सरकारी आदेशों का कार्यावन करने में केवल औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित और बिक्री किए जाने वाले माल को ही इस अधिनियम में कर से छूट दी गई है। उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश और औद्योगिक नीतियों में विभिन्न खंडों का उल्लेख करने के बाद राजस्व के रुख को स्वीकार किया।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष लिए गए रुख को दोहराया है।

8. अधिसूचना में कवर की गई वस्तुओं में से एक के संदर्भ में, जो की, कॉफी क्यूरिंग इकाई है, यह कहा गया था की खरीद के समय छूट देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि खरीदारों को केवल अतिरिक्त लाभ दिए गए। लाभ को सार्थक बनाने के उद्देश्य से खरीद कर को सम्मिलित करना ही होगा। छूट देना सरकार के विवेक पर हेयर इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। धारा 6 के तहत लाभ देना राज्य सरकार की सुविचारित नीति थी। कुछ परिस्थितियों में क्रय कर लगता है।

9. दूसरी ओर राज्य के लिए विद्वान वकील ने यह इंगित किया की दोनो सरकारी आदेश, दिनांकित 15-03-1996 और 14.05.1999 उत्पादन और विक्रय पर जोर डालते हैं। यह इंगित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई वस्तुओं को संसाधित किया जाता है और उन्हें राज्य से बाहर भेजा जाता है और वे कथित रूप से अन्य राज्यों में अंतर-राज्यीय व्यापार के अंतराल में विक्रय किए जाते हैं। सारा जोर विक्रय करने पर है न की कच्चे माल के क्रय पर। सरकारी आदेश छूट या स्थगन की बात करते हैं। यह इंगित किया गया है की यह कभी भी राज्य सरकार का इरादा नहीं था की इस विक्रेता को लाभ मिले जिसने लाभ प्राप्त करने के बाद कुछ अन्य राज्यों में अंतर-राज्यीय बिक्री के अंतराल में बिक्री को कथित रूप से प्रभावित किया हो। ऐसी छूट देने का कोई तर्क नहीं है।

10. प्रतिद्वन्दी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए अधिसूचना और सरकारी आदेश पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिसूचना दिनांक 15.11.1996, जहाँ तक प्रासंगिक है, निम्नलिखित है:

"(i) (क) एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के तहत नीचे दी गई तालिका A के कॉलम (2) में उल्लिखित नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित और विक्रय किए माल पर देय कर से छूट देता है, जो कॉलम (3) में निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित है और अवधि के दौरान और कॉलम 4 में उल्लिखित सीमा तक।"

11. बाद का सरकारी आदेश दिनांकित 14.5.1999 जहाँ तक प्रासंगिक है वह इस प्रकार है:

"सरकारी आदेश सं. CI 301 एस. पी. सी. 96, दिनांक 15.3.1996 के अनुलग्नक III का पैरा II (7) को इस प्रकार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा:

उक्त आदेश के तहत वाणिज्यिक कर प्रोत्साहन और रियायतें केवल उन विनिर्माण इकाइयों के लिए उपलब्ध होंगी जिन्हें कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिभाषित किया गया है। हालांकि, कुछ गैर विनिर्माण इकाइयां जो अनुबंध IV में वर्णित हैं वह उक्त आदेश के तहत प्रोत्साहन और रियायतों के लिए पात्र होंगे।"

12. जैसा कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है की अधिसूचना दिनांकित 15.11.1996 में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है जहा तक की नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित और बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रिस्क्रिप्शन की आवाशयता है।

13. 1996 की औद्योगिक नीति का खंड 5 इस प्रकार है:

"खंड 5: नई इकाइयों के लिए बिक्री कर रियायत

छोटे/एस. एस. टी./मध्यम और बड़े उद्योगों में औद्योगिक निवेश में बिक्री कर छूट या बिक्री कर स्थगन (केएसटी/सीएसटी) का विकल्प दिया जाएगा। विकल्प केवल प्रारंभिक स्तर पर रियायत का लाभ लेने के समय ही मिलेगा।

खंड 7 इस प्रकार है:

"7. इस आदेश के तहत प्रोत्साहन और रियायतें केवल 'विनिर्माण' इकाइयों के लिए उपलब्ध हैं जैसा कि कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम के लिए परिभाषित का उद्देश्य है। हालांकि, 'गैर- विनिर्माण' की निर्दिष्ट श्रेणियों की इकाइया जैसा कि परिशिष्ट- VI में विस्तृत है वो भी इस आदेश के अनुसार प्रोत्साहन और रियायतों के लिए योग्य होगा।"

14. खंड 5 और 7 के प्रभाव को लेकर कुछ भ्रम प्रतीत होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि विनिर्माण और गैर- विनिर्माण इकाइयों की पात्रता से संबंधित भ्रम को स्पष्ट करने की मांग सरकार के द्वारा आदेश के ज़रिए की गई थी। इसके बाद वाले सरकारी आदेश दिनांकित 14.5.1999 का मुख्य उद्देश्य कुछ गैर- विनिर्माण इकाइयों को सरकारी आदेश दिनांकित 15.3.1996 के अंतर्गत लाभ दिलाने का था ।

15. सरकारी आदेश में नयी औद्योगिक इकाइयो को अधिनियम और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'सी. एस. टी. अधिनियम') के तहत क्या दिया जाता है बिक्री कर में छूट या बिक्री का स्थगन हैं।

16. औद्योगिक नीति 1996- 2001 के सरकारी आदेश दिनांकित 15.3.1996 के खंड 5 में बिक्री कर में रियायत और प्रोत्साहन का प्रावधान है। उक्त खंड लघु/एसएसएल/मध्यम और बड़े पैमाने के क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश के लिए बिक्री कर

छूट या बिक्री कर स्थगन का दावा करने का विकल्प प्रदान करता है।

17. बिक्री और खरीद एक ही लेनदेन के दो अलग- अलग पहलू हैं। चाहे बिक्री हो या खरीद दोनों के घटक कॉमन लॉ और वस्तु बिक्री अधिनियम में समान ही होंगे। जैसा कि इस न्यायालय ने देवी दास गोपाल कृष्णन बनाम पंजाब राज्य (AIR 1967 SC 1895) में कहा है कि लेन- देन, जिससे बिक्री कर कानून संबंधित हैं, बिक्री और खरीद दोनों के मामले में कीमत के लिए माल में संपत्ति का हस्तांतरण है। सरकारी आदेश में, नई औद्योगिक इकाइयों को जो प्रदान किया गया है, वह अधिनियम और सीएसटी अधिनियम दोनों के तहत बिक्री कर छूट या बिक्री कर के स्थगन का दावा करने का एक विकल्प है। कराधान के क्षेत्र में, यह माना जाता है कि कर लगाने या कर से मुक्त होने वाली वस्तुओं या व्यक्तियों को वर्गीकृत करने की शक्ति विधायिका के पास है। विधायिका के पास व्यक्तियों या लेनदेन का चयन करने की शक्ति भी प्राप्त है। इसलिए राज्य का एक कानून बिक्री बिंदु और खरीद बिंदु दोनों पर कर लगा सकता है। सरकारी आदेश के तहत, जैसा कि बताया गया है, सरकार की नीति यह है कि अतिलघु और लघु उद्योग और मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग सरकारी आदेश में निर्धारित वर्षों की संख्या के लिए बिक्री कर छूट या बिक्री कर स्थगन के लिए अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। जिस संदर्भ में इन अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है, उनका मतलब केवल निश्चित वर्षों की अवधि तक "बिक्री कर अवकाश" या बिक्री कर भुगतान से छूट है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस पर निर्भर करता है कि अतिलघु या लघु उद्योग कहाँ स्थित है। "बिक्री कर" संदर्भित करता है कोई भी कर जिसके दायरे में बिक्री के सभी व्यवसाय शामिल हैं जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। इसी प्रकार, "बिक्री कर स्थगन" का मतलब केवल यह है कि उपरोक्त उद्योग कर एकत्र करने के हकदार है परंतु उन्हें तुरंत एकत्रित बिक्री कर का भुगतान राज्य को करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस तरह से समझा जाए और उसके बाद वर्ष 1993- 1998

के लिए राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति और छूट अधिसूचना पर गौर किया जाए, तो एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है, वह यह है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत किसकी छूट दी गई है वह किसी औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित और बेची गई वस्तुओं पर अधिनियम की धारा 5 के तहत लगाया जाने वाला कर है। इसलिए, अधिसूचना किसी भी तरह से वर्ष 1993-1998 की औद्योगिक नीति से भिन्न या विपरीत नहीं है।

उपरोक्त स्थिति को उच्च न्यायालय द्वारा सही तरीके से प्रमुखता से वर्णित किया है।

18. मामले को ध्यान में रखते हुए, हमें उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में कोई कमी नहीं है। अपील खारिज की जाती है। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कबिता शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।